



## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:- <https://rera.cgstate.gov.in/>

कमांक-07/रेरा/2018/577


रायपुर, दिनांक 04/10/2018

// आदेश //


भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के तहत निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स के रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 तक की समय-सीमा प्रमोटर्स को प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् विभिन्न अवधियों में रजिस्ट्रेशन हेतु स्वस्फूर्त प्रस्तुत ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स में प्राधिकरण द्वारा पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क भी निर्धारित किये गये थे।

2. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गत अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2018 के पश्चात् दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 तक रजिस्ट्रेशन हेतु स्वस्फूर्त प्रस्तुत निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स में "निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ पंजीयन शुल्क के चार गुणा राशि के बराबर विलंब शुल्क" निर्धारित किया जाता है, जो न्यूनतम रूपये 75,000/- (रूपये पचहत्तर हजार मात्र) से कम नहीं होगा।
3. उक्त निर्धारित विलंब शुल्क केवल स्वस्फूर्त प्रस्तुत ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स हेतु लागू होगा। प्राधिकरण के संज्ञान में प्राप्त अन्य अपंजीकृत ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स में अधिनियम की धारा-59 के तहत पृथक कार्यवाही की जा सकेगी।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
(अजय कुमार अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

 छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
रायपुर.